न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

घीसूसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत
निवासी भीलाल तह. नांवा

1. सायरकंवर पत्नी केशरसिंह राजपूत
2. किरणकंवर पुत्री केशरसिंह राजपूत
3. मंजूदेवी पुत्री केशरसिंह राजपूत
4. प्रेमकंवर पुत्री केशरसिंह राजपूत
5. मनोहरकंवर पुत्री केशरसिंह राजपूत
6. माफकंवर पुत्री केशरसिंह राजपूत
7. सबरकंवर पुत्री केशरसिंह राजपूत
8. निशाकंवर पुत्री केशरसिंह राजपूत
   निवासी भीलाल तह. नांवा
9. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा।
उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर वकील वादी
श्री श्रवणराम चौधरी वकील प्रतिवादी 1 से 6 व 8

मुकदमां नम्बर :– 31/2018 निर्णय दिनांक :– 19.02.2018

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी 1 से 8 एक ही परिवाद के सदस्य हैं तथा मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह के वंशज वारिसान हैं ग्राम खौरण्डी के खसरा नम्बर 188, 229, 230, 231, 232 कुल रकबा 6.03 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें वक्त जागीर के समय से मोहनसिंह उर्फ मनूसिंह का 1/3 हिस्सा कब्जे काष्त व खातेदारी में दर्ज चला आ रहा हैं मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पि. विशालसिह के कोई जाईन्दा पुत्र एवं पुत्री नहीं होने से मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह व उनकी पत्नी गेनकंवर ने आपसी सहमति से समाज के मौजिज व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सामाजिक रिति रिवाज से गुड इत्सादि बांटकर अपने भाई गणपतसिंह के पुत्र वादी के पिता केशरसिंह को अपना गोदी पुत्र स्वीकार कर बतौर गोदी पुत्र अपने पास रख लिया था खातेदार मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 01.04.1999 को हो गया तथा वादी की दादी का भी स्वर्गवास हो गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
नावां

वादी के पिता ने आपसी मुकदमें बाजी के वजह से खातेदार मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह की जगह वादी के नाम फौतगी नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हुआ हैं खातेदार मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह व उनकी पत्नी गेनकंवर का सम्पूर्ण भरण पोषण गंगोज एवं मृत्युभोज इत्यादि का सम्पूर्ण खर्चा वादी के पिता केशरसिंह ने ही वहन किया था पगड़ी का दस्तूर भी वादी के पिता केशरसिंह के ही किया गया था इसी दौरान एक पारिवारिक लिखापढ़ी वादी के पिता केशरसिंह के हक में निष्पादित की गई मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह की सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता केशरसिंह के हक हिस्से में रहेगी। जिसके बाद वादी के पिता ने राजस्व कर्मचारियों के पास कई बार चक्कर काटे लेकिन फौतगी नामान्करण दर्ज नहीं किया तत्पश्चात वादी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 16.01.2017 को हो गया केशनसिंह के बाहरवे की उपस्थिति में प्रतिवादीगण ने मजमें आम में अपने को विरासत में मिली उक्त सम्पूर्ण भूमि का हकत्यागण वादी के हक में कर दिया तब से सम्पूर्ण भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा हैं। वादी ने वाद पेश कर ग्राम भीलाल के खसरा नम्बर 188, 229, 230, 231, 231 कुल रकबा 6.03 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह की जगह वादी को काबिज कृषक खातेदार घोषित करने की डिक्री बहक वादी के पक्ष में किऐ जाने की इस्तदुआ चाही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 6 व 8 ने वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया हैं तथा मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह ने वादी व हम प्रतिवादीगण के पिता को को सामाजिक रूप से अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी की सहमति से गोद लिया जाना बताया हैं हम प्रतिवादीगण ने अपना पैतक हक हिस्सा अपने पिता के बाहरवे के दिन वादी के को अपनी सहमति से दे दिया हैं जिसके बाद वादी मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह की खातेदारी भूमि में बहैसियत उत्तराधिकार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा हैं उक्त विवादित भूमि हमारी पैतृक हक हिस्से की भूमि हैं जिसको हम अपनी सहमति से वादी को दे दी हैं तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तो हम प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति हैं। प्रतिवादी 7 व 9 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बाजवजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई, वादी साक्ष्य पेश नहीं करना

उपखण्ड अधिकारी
नावां

चाहते हैं साक्ष्य बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के अनुसार ग्राम भीलाल के खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232 कुल रकबा 6.03 हैक्टयर भूमि में मोहनसिंह पुत्र विशलसिंह का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 188 रकबा 0.92 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि मूनसिंह पुत्र विशालसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जन्म– मृत्यु रजिस्ट्रर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया हैं जिसमें मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह का स्वर्गवास 01.04.1999 को हुआ हैं ग्राम पंचायत खोरण्डी द्वारा दिनांक 28.12.2010 को जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति पेश की हैं जिसके अनुसार मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह के उत्तराधिकार में केशरसिंह को गोद पुत्र बताया गया हैं। वर्ष 1990 में मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह का राशन कार्ड की प्रति पेश की हैं जिसमें केशरसिंह को अपना पुत्र होना अंकित किया गया हैं तथा ग्राम पंचायत खोरण्डी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया हैं जिसमें मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजूपत निवासी भीलाल को व्यक्तिगत रूप से जानना तथा उसके वारिसान में केवल दत्तक पुत्र केशरसिंह होना बताया गया हैं भाई बन्दों द्वारा उक्त विवादित आराजीयत को लेकर एक पारिवारिक समझोता दिनांक 16.02.1996 को किया जिसकी लिखित की गई जिसमें मूनसिंह पुत्र विशालसिंह की सेवा केशरसिंह द्वारा किऐ जाने के कारण मूनसिंह पुत्र विशालसिंह की आराजीयत केशरसिंह को दिये जाने का उल्लेख किया गया हैं। केशरसिंह वादी व प्रतिवादीगण का पिता थे जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं प्रस्तुत साक्ष्यों ने भी मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह के केशरसिंह गोद पुत्र होना तथा मोहनसिंह उर्फ मुनसिह पुत्र विशालसिंह के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर केशरसिंह का तथा केशरसिंह के बाद वादी का कब्जा काश्त होना बताया हैं प्रतिवादीगण जो वादी की माता व संगी बहिनें जिन्होनें सामाजिक रूप से अपने पति व पिता को केशरसिंह को मोहनसिंह उर्फ मूनसिंह पुत्र विशालसिंह ने गोद लिया जाना स्वीकार किया हैं हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम में सामाजीक रूप से समाज के मौजिज व्यक्यिों एवं भाईबन्दुओं की उपस्थिति में गोद की रशम अदा कर गोद लिया जा सकता हैं जिसके लिऐ रजिस्टर्ड गोद नामें की आवश्यकता नहीं है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
नावां

खातेदार मोहनसिंह उर्फ मुनसिंह द्वारा वादी के पिता केशरसिंह को गोद लिया जाना प्रतीत होता हैं प्रतिवादी 1 से 8 ने इकबालिया जवाब पेश कर केशरसिंह के स्वर्गवास के बाद कियाकर्म एवं गंगाप्रसादी के दिने अपना पैतृक हक हिस्सा अपने पुत्र व भाई वादी घीसूसिंह को दिया जाना स्वीकार किया हैं जिससे वादी का वाद साबित होता हैं स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम भीलाल के खसरा नम्बर 188 रकबा 0.92 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232 कुल रकबा 6.03 हैक्टयर भूमि में 1/3 हिस्से में मोहनसिंह उर्फ मुनसिंह पुत्र विशालसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा